

प्रधान,

ममता श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

रोवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

(रिक्ता) (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 17 दिसम्बर 2008

विषय :- गुरु तेगं बहादुर एजूकेशनल एकेडमी, पुवायॉ रोड, शाहजहांपुर को सी0बी0एस0
ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मझे यह कहा जा निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सुलगा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दियें जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रिया अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षेत रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक विद्यालय परिषद्/ बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि चूर्चा में विद्यालय प्राप्ति शिक्षा परिषद् द्वारा गान्धीजी प्राप्ति विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेल्डी एजन्सी नईदिल्ली/कॉसिल फाउंडेशन स्कूल सर्टीफिकेट इनसीटीवी नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा संघ सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं विकासितर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों का नव वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा भर्ते मनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सह निवृत्ति का अधिकार कराये जायेंगे।

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना को परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2— उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव ।

पृ०संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— शिक्षा निदेशक(मा०),उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
- 2— मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,बरेली।
- 3— जिला विद्यालय निरीक्षक,शाहजहाँपुर।
- 4— निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०,लखनऊ।
- 5— प्रबंधक,गुरु तेग बहादुर एजूकेशनल एकेडमी,पुंवार्याँ रोड,शाहजहाँपुर।
- 6— गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

५८३।
(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव ।